

जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 10.06.2021

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 1 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 10.06.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त दिलशाद को 1 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ उत्सव भवन के पास, शनि मन्दिर थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. दिलशाद पुत्र हामिद अली, नि. हनीफ वाली गली, देवेन्द्र के मकान में किराये पर, कस्बा व थाना स्याना, जनपद बु.शहर

पंजीकृत अभियोगो का विवरण

1- मु.अ.सं. 826/21 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम

बरामदगी का विवरण

1- 1 किलो 100 ग्राम गांजा नाजायज



लूट की घटना का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा रोकथाम अपराध / वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व शासन द्वारा जारी कोविड - 19 के निर्देशो का पालन कराने के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मोदीनगर के निर्देशन में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा लूट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त प्रिन्स पुत्र जोगराज निवासी ग्राम पट्टी थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. प्रिन्स पुत्र जोगराज निवासी ग्राम पट्टी थाना भोजपुर गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास: -

1. मु.अ.स. 352/21 धारा 394/411 भादवि थाना भोजपुर गाजियाबाद
2. मु.अ.स. 353/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

1. 14000 रुपये (नगद)
2. आई डी कार्ड
3. एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
4. एक मोबाईल रैड मी नोट 8 प्रो
5. मो.सा. UP14 BQ 9661 (घटना में प्रयुक्त)



थाना-कविनगर पुलिस द्वारा 03 वर्ष से 420 भादवि के अपराध मे वांछित चले रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन 420 के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कविनगर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 09/04/2021 को थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1988/17 धारा 420/467/468/471 भादवि मे वांछित चल रहे अभियुक्त तनवीर अली पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 नाली पाडा 150 मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद को समय 23.05 बजे हापुड चुंगी के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर पैसे लेकर गाडी का फाईनेन्स कराता है तथा पैसे लेकर वापस नहीं करता है जिसके सम्बन्ध मे थाना कविनगर पर वादी मुकदमा श्री तेजवीर सिंह निवासी देविका मोटर्स प्रा0 लि0 थाना कविनगर गाजियाबाद द्वारा थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1988/17 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कराया । अभियुक्त उपरोक्त तभी से फरार चल रहा था एवं थाना कविनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्त की वर्ष 2017 से तलाश की जा रही थी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

तनवीर अली पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 नाली पाडा 150 मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष ।



कार्यवाही - श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 10.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब वांछित अभियुक्त 1 शकील पुत्र सलीम मयूर विहार आमना मस्जिद के पास डासना देहात थाना मसूरी जिला गाजियाबाद व एक अभियुक्ता को कल्लूगढी अण्डरपास के नीचे से गिरफ्तार किया गया ।

अभि0गण द्वारा दिनांक 20.04.2021 को रमजानों पत्नि इलियास की पत्थर मारकर हत्या की थी । जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी मे मु0अ0सं0 265/2021 धारा 302/323/336/147/148 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

01--शकील पुत्र सलीम नि मयूर विहार आमना मस्जिद के पास डासना देहात थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

02- एक अभियुक्ता



दिनांक-10.06.21---- थाना कविनगर (गाजियाबाद)

थाना कविनगर पुलिस द्वारा लूट/चोरी करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को मय चोरी की दो गाडी (वैगनार व बुलैरो) व लूटे गये मोबाइल फोन व 13,600 रुपये नकद एवं 01 पिस्टल .32 बोर व 03 तमंचे व भारी मात्रा मे जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वाहन लूटेरो/चोरो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा लूट/चोरी की कई घटनो का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 10.06.21 को समय 01.30 बजे चौकी गोविन्दपुरम के सामने थाना क्षेत्र कविनगर से चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गण (1) रिकू उर्फ विशाल कसाना पुत्र सुभाष चन्द कसाना निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद (2) आशू उर्फ डिप्टी पुत्र लीले राम निवासी ग्राम गलौनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद (3) राहुल भाटी पुत्र बदले सिंह भाटी निवासी ग्राम खरक रटौल थाना खेकडा बागपत व (4) प्रिंस पुत्र साधुराम निवासी ग्राम धनौटा थाना खरखौदा जिला मेरठ को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 909/21 धारा 379/411/34 भादवि से सम्बन्धित वैगनआर कार नं0 HR 51 BG 0286 व मु0अ0सं0 350/21 धारा 379/411/34 भादवि से सम्बन्धित बुलैरो कार नं0 DL 1 LAB 6201 व मु0अ0सं0 774/21 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित 4100/- रुपये, मु0अ0सं0 838/21 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित 6200/- रुपये, मु0अ0सं0 528/21 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित 3300/- रुपये एवं थाना टीलामोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 265/21 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित एक मोबाइल फोन लावा व अभियुक्त रिकू उर्फ विशाल कसाना से कब्जे से एक पिस्टल .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर व अभियुक्त गण आशू उर्फ डिप्टी, राहुल भाटी व प्रिंस के कब्जे से 03 तमंचे व 06 जिन्दा कारतूस

नाजायज बरामद हुए उक्त बरामद अवैध अस्लाह के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर क्रमशः मु0अ0सं0 997/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 998/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मु0अ0सं0 999/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मु0अ0सं0 1000/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये हैं।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण शातिर किस्म के लूटेरे/चोर हैं जो अवैध अस्लाह के साथ मौका पाकर राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल फोन / चैन छीन लेते हैं व वाहनो को चोरी कर लेते हैं। अभियुक्त गण पूर्व में भी जेल जा चुके जिनके विरुद्ध अलग अलग थानो पर कई संगीन घटनाओ में अभियोग पंजीकृत है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण-

- (1) रिकू उर्फ विशाल कसाना पुत्र सुभाष चन्द कसाना निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद
- (2) आशू उर्फ डिप्टी पुत्र लीले राम निवासी ग्राम गलौनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
- (3) राहुल भाटी पुत्र बदले सिंह भाटी निवासी ग्राम खरक रटौल थाना खेकडा बागपत व
- (4) प्रिंस पुत्र साधुराम निवासी ग्राम धनौटा थाना खरखौदा जिला मेरठ

बरामदगी का विवरण:-

13,600 रुपये नकद लूटी गयी सम्पत्ति से बरामद
वैगनआर कार नं0 HR 51 BG 0286 चोरी की
बुलैरो कार नं0 DL 1 LAB 6201 चोरी की
एक मोबाइल फोन लावा लूटा गया
एक पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

03 तमंचे .315 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिकू उर्फ विशाल कसाना-

- (1) मु0अ0सं0 997/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- (2) मु0अ0सं0 909/21 धारा 379/411/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- (3) मु0अ0सं0 350/21 धारा 379/411/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- (4) मु0अ0सं0 774/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- (5) मु0अ0सं0 838/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- (6) मु0अ0सं0 528/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- (7) मु0अ0सं0 265/21 धारा 392/411 भादवि थाना टीलामोड गाजियाबाद।
- (8) मु0अ0सं0 1482/18 धारा 302/34 भादवि थाना बागपत बागपत।
- (9) मु0अ0सं0 1170/17 धारा 392/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद।
- (10) मु0अ0सं0 129/17 धारा 307/147/452/504/323 भादवि थाना चांदीनगर बागपत।
- (11) मु0अ0सं0 985/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद।
- (12) मु0अ0सं0 10/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बागपत जिला बागपत।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आशू उर्फ डिप्टी-

- (1) मु0अ0सं0 998/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- (2) मु0अ0सं0 909/21 धारा 379/411/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- (3) मु0अ0सं0 350/21 धारा 379/411/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

- (4) मु0अ0सं0 774/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (5) मु0अ0सं0 838/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (6) मु0अ0सं0 528/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (7) मु0अ0सं0 265/21 धारा 392/411 भादवि थाना टीलामोड गाजियाबाद ।
- (8) मु0अ0सं0 1061/14 धारा 379/411 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर ।
- (9) मु0अ0सं0 1115/14 धारा 392 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर ।
- (10) मु0अ0सं0 834/14 धारा 394/506/411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर ।
- (11) मु0अ0सं0 851/14 धारा 379 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर ।
- (12) मु0अ0सं0 483/12 धारा 379/411 भादवि थाना सै0 39 गौतमबुद्धनगर ।
- (13) मु0अ0सं0 83/15 धारा 224/332/307/393 भादवि थाना खुर्जा देहात बु0शहर ।
- (14) मु0अ0सं0 236/14 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना चांदीनगर बागपत ।
- (15) मु0अ0सं0 319/14 धारा 394/411 भादवि थाना चांदीनगर बागपत ।
- (16) मु0अ0सं0 238/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर बागपत ।
- (17) मु0अ0सं0 240/14 धारा 414 भादवि थाना चांदीनगर बागपत ।
- (18) मु0अ0सं0 915/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कासना गौतमबुद्धनगर ।
- (19) मु0अ0सं0 3407/14 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद ।
- (20) मु0अ0सं0 2836/14 धारा 307/506 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद ।
- (21) मु0अ0सं0 1718/14 धारा 394/397/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (22) मु0अ0सं0 366/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल भाटी-

- (1) मु0अ0सं0 999/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (2) मु0अ0सं0 909/21 धारा 379/411/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

- (3) मु0अ0सं0 350/21 धारा 379/411/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (4) मु0अ0सं0 774/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (5) मु0अ0सं0 838/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (6) मु0अ0सं0 528/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (7) मु0अ0सं0 265/21 धारा 392/411 भादवि थाना टीलामोड गाजियाबाद ।
- (8) मु0अ0सं0 165/17 धारा 394/411 भादवि थाना खेकडा बागपत ।
- (9) मु0अ0सं0 166/17 धारा 392 भादवि थाना खेकडा बागपत ।
- (10) मु0अ0सं0 168/17 धारा 307/414 भादवि थाना खेकडा बागपत ।
- (11) मु0अ0सं0 170/17 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा बागपत ।
- (12) मु0अ0सं0 183/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना खेकडा बागपत ।
- (13) मु0अ0सं0 119/13 धारा 302/120बी/147/148/149 भादवि थाना ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर ।
- (14) मु0अ0सं0 920/13 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर ।

- (15) मु0अ0सं0 1819/13 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद ।
- (16) मु0अ0सं0 1845/13 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद ।
- (17) मु0अ0सं0 2111/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद ।
- (18) मु0अ0सं0 1844/13 धारा 394/411 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद ।
- (19) मु0अ0सं0 2554/13 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना लोनी गाजियाबाद ।
- (20) मु0अ0सं0 1279/13 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रिंस-

- (1) मु0अ0सं0 1000/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (2) मु0अ0सं0 909/21 धारा 379/411/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (3) मु0अ0सं0 350/21 धारा 379/411/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (4) मु0अ0सं0 774/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (5) मु0अ0सं0 838/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (6) मु0अ0सं0 528/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- (7) मु0अ0सं0 265/21 धारा 392/411 भादवि थाना टीलामोड गाजियाबाद ।
- (8) मु0अ0सं0 7/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नौचंदी मेरठ ।
- (9) मु0अ0सं0 505/20 धारा 18/20 NDPS ACT थाना नौचंदी मेरठ ।
- (10) मु0अ0सं0 512/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नौचंदी मेरठ ।



थाना लोनी पुलिस द्वारा लूट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहा निरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान निठौरा रोड पर

दि0- 10/06/2021 समय 04.30 बजे लूट के मुकदमे मे वाछिंत अभियुक्त फिरोज पुत्र वसीर निवासी अमन गार्डन निकट अमन कोठी थाना लोनी गा0बाद को गिरफ्तार किया गया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

फिरोज पुत्र वसीर निवासी अमन गार्डन निकट अमन कोठी थाना लोनी गा0बाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फिरोज

| क्रं0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना |
|----------|----------|--|---------------|
| 1 | 664/21 | 392/411 भादवि | लोनी |
| 2 | 376/15 | 392/411भादवि | ट्रानिका सिटी |
| 3 | 377/15 | 3/25 आर्मस एक्ट | ट्रानिका सिटी |
| 4 | 857/12 | 3/25 आर्मस एक्ट | लोनी |
| 5 | 858/12 | 41/102 सी आर पी सी व 411/414 भादवि | लोनी |
| 6 | 1721/13 | 147/148/149/302/120बी/34 भादवि व 3(2) एस सी एस टी एक्ट | लोनी |
| 7 | 2254/13 | 2/3गैग्रेस्टर एक्ट | लोनी |
| 8 | 1803/13 | 3/25/27 आर्मस एक्ट | लोनी |

बरामदगी

लूट के 480 रुपये



थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दि0 09.06.21 को मिले शव के सम्बन्ध में पंजीकृत हत्या के अभियोग की घटना का किया सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त की गयी कार,कपडा व मृतक की मोपेड वाहन बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 09.06.2021 को थाना नन्दग्राम क्षेत्रान्तर्गत राजनगर एक्सटेंशन ब्रेव हार्ट सोसायटी के पास एक शव मिला था, जिसकी पहचान श्री ओंकार सिंह त्यागी पुत्र रामधारी सिंह पता 583 डी ब्लॉक उत्तरांचल नगर थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद के रूप में हुई। घटना के सम्बन्ध में मृतक के पोते द्वारा अपने दादा जी के दिनांक 08.06.2021 को अपनी TVS मोपेड नं0 UP14EL8656 से घर से

बाहर जाने तथा घर वापस न आने तथा दि० 09.06.21 को उनका शव मिलने के सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पर मु०अ०सं० 597/21 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही- उक्त घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक, नगर एवं क्षेत्राधिकारी सिहानी गेट को तत्काल घटना के सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक नन्दग्राम श्री नीरज कुमार सिंह मय टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए घटना कारित करने वाले/विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आये अभियुक्त **1 अजय शर्मा पुत्र महेश कुमार शर्मा नि० म०नं० 563 डी ब्लाक उत्तरांचल नगर थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद 2 केशव शर्मा पुत्र अजय शर्मा नि० F ब्लाक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद** को आज दिनांक 10.06.2021 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कार नं० UP 14 CE 1665, मृतक ओंकार सिंह की मोपेड नं० UP 14 EL 8656 एवं हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल तकिये का कवर खून आलूदा बरामद हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त अजय शर्मा उपरोक्त ने बताया की ओंकार सिंह त्यागी के मकान खरीदने को लेकर मेरे व उनके बीच 24,00,000/-रु में एक सौदा हुआ था, जिसके लिए मेरे द्वारा 4,00,000/-रु दिये जा चुके थे तथा बकाया 20,00,000/- रु जल्दी देने के लिए कहा था। ओंकार सिंह अपने बकाया पैसे को लेकर मुझे सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करता रहता था, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेरे द्वारा अपने साथी केशव शर्मा के साथ मिलकर उसे अपनी गाडी में बैठाकर कपडे से गला कसकर उसकी हत्या कर शव को सडक किनारे खाली प्लाँट में फेक दिया था। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कार रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 14 CE 1665, मृतक की मोपेड नं० UP 14 EL 8656 तथा हत्या कारित करने में प्रयुक्त कपडा बरामद किया गया है।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

1-अजय शर्मा पुत्र महेश कुमार शर्मा नि० म०नं० 563 डी ब्लाक उत्तरांचल नगर थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद

2- केशव शर्मा पुत्र अजय शर्मा नि० एफ ब्लाक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम. गाजियाबाद

बरामदगी:

1. हत्या की घटना में प्रयुक्त कार नं० UP 14 CE 1665
2. मृतक ओंकार सिंह की मोपेड नं० UP 14 EL 8656
3. हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल तकिये का कवर खून आलूदा

